न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रियांबड़ी, जिला नागौर (राज.)

नामांतरकरण अपील सं. : 151ए/2022

बईजलास : सुरेश कुमार, आर. ए. एस.

अपीलांट :–
बिदामीदेवी पत्नी श्री बिरमाराम जाति रेगर, निवासी आलनियावास, तहसील रियांबड़ी, जिला नागौर (फौत के कायम मुकाम)
1/1 कैलाश कुरड़ीया पुत्र श्री बिरमाराम कुरडीया,
1/2 बिरमाराम कुरड़िया पुत्र श्री मांगूराम कुरड़ीया, जतियान रेगर, निवासीगण आलनियावास, तहसील रियांबड़ी, जिला नागौर

बनाम

रेस्पोडेन्ट :–
1– ग्राम पंचायत आलनियावास, जरिये सरपंच आलनियावास, पं.स. रियांबड़ी, जिला नागौर
2– ग्यारसीदेवी पुत्री श्री धुकल, जाति रेगर निवासी रेगरो का मौहल्ला पादुकलां, तहसील रियांबड़ी,
3– डुंगाराम पुत्र श्री धुकल, जाति रेगर निवासी आलनियावास तहसील रियांबड़ी जिला नागौर,
4– तहसीलदार रियांबड़ी,

अपील विरूद्ध स्वीकृति आदेश नामांतरकरण सं. 1278 दिनांक 20–12–2019 ग्राम पंचायत आलनियावास

निर्णय

दिनांक : 3/9/24

अपीलांट ने यह अपील विरूद्ध नामांतरकरण सं. 1278 दिनांक 20–12–2019 न्यायालय ग्राम पंचायत आलनियावास रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध पेश की। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट ने मौजा आलनियावास की सरहद में खेत खसरा नम्बर 497 रकबा 33 बीघा 18 बिश्वा हाल खसरा नम्बर 1842/809 रकबा 2.7400 हैक्टेयर पूर्व में धुकल पुत्र नरायण जाति रेगर की खातेदारी व कब्जा काश्त में स्थित रहा खसरा नम्बर 497 में धुकल का 1/2 हिस्सा नहीं था, जिसके हाल नम्बर 1842/809 दर्ज हुए खसरा नम्बर 497 में धुकल का निहित 1/2 हिस्सा अपिलांट ने 31–03–2005 को खरीद किया जिसका विक्रय पत्र दिनांक 31–03–2005 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 38 के पृष्ठ संख्या 192 के क्रमांक 993 पर उपं पजीयक भैरूंदा में पंजीकृत हुआ व उक्त हिस्से का कब्जा अपीलांट को सुपुर्द किया अपीलांट एक अनपढ महिला है इस कारण से अपीलाट ने खेत को क्रय करने के बाद खेत का कब्जा कर लिया व काश्त करने लगी परंतु म्युटेशन अपने नाम नहीं करवाया दिनांक 17–07–2020 को पटवारी हल्का से सर्म्पक किया तो खसरा नम्बर में परिवर्तन होने की जानकारी मिली

उपखण्ड अधिकारी रियांबड़ी
जिला नागौर

नकल प्राप्त होने पर खातेदारी अपने रस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 के नाम दर्ज होने व नामान्तरकरण संख्या 1278 दिनांक 20-12-2019 को स्वीकृत होने की जानकारी हुई जिसकी नकल हेतु आवदेन पेष करने पर नकल दिनांक 31-07-2020 को प्राप्त होने पर अपीलांट को र्सवप्रामि म्युटेषन की जानकारी हुई जिस पर अपीलांट दिनांक 22-07-2020 को नागौर आई उस समय न्यायालय समय समाप्त हो जाने से अपील जानकारी के अभाव में दिनांक 23-07-2020 को श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के न्यायालय में पेश कर दि गई जिस पर जिला कलेक्टर न्यायालय ने उक्त अपील इस आधार पर खारीज कर दी राज पेरोकार द्वारा प्रस्तुत राजस्व विभाग जयपुर के अधिसुचना क्रमांक-एफ.5(21)राज/4/80/35 दिनांक 04/09/1982 के अनुसार ग्राम पंचायत की अपील उपखण्ड अधिकारी के समक्ष होने से क्षेत्राधिकार नहीं होने से पोषनीय नहीं होने से खारीज की जाती है अपीलांट सक्षम न्यायालय में अपील पेश करने में स्वतंत्र है सो अपील अपीलांट द्वारा पेश की जा रही है खसरा नम्बर 497 में 1/2 हिस्सा धुकल पुत्र नारायण का दिनांक 31-03-2005 को जरिये बेचाननामा अपीलांट ने खरीद किया व काष्त कब्जा सुपुर्द किया एवं मौके पर अपीलांट का काश्त कब्जा है जिसके नये खसरा नम्बर 1842/809 दर्ज हुए है जिसमें रेस्पोडेन्ट सं. 2 व 3 का कोई हक हिस्सा नहीं है अपीलांट हितबंद महिला है उक्त नामान्तरकरण से अपीलांट का खरीदसुदा खातेदारी हको पर खतरे के बादल मण्डराये है अपीलांट अपना पक्ष नहीं प्रस्तुत कर सकी धारा 96 सीपीसी के तहत उक्त अपील पेष कर रही है जिसकी अनुमति हेतु आवेदन अलग से प्रस्तुत है इस प्रकार अपीलांट ने अपील न्यायालय हाजा में पेश की एवं देरी को कन्डोन हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम का आवेदन पेश है अतः अपील अपीलांट पेश कर निवेदन हे कि अपीलाधिन नामान्तरण संख्या 1278 को अपास्त किया जाकर वाद जांच व बांद सुनवाई के विक्रय पत्र के आधार पर अपीलांट का नामान्तरकरण दर्ज किया जावे। पुनः वास्तविक खातेदार के नाम दर्ज करने हेतु के निर्दश के साथ प्रकरण को प्रतिप्रेषित किया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर होकर रेस्पोडेन्ट को जवाब हेतु तलब किया। जिस पर अपीलांट ने अपनी अपील के समर्थन में बहस की अपीलांट ने दिनांक 31-03-2005 को धुकल पुत्र नारायण रेगर से खरीद किया जो खसरा नम्बर 497 रकबा 33 बीघा 18 बिश्वा में 1/2 हिस्सा सम्पूर्ण खरीद किया जिसकी बेचाननामा की प्रति श्रीमान के न्यायालय में अपील के साथ पेश की है जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 1842/809 रकबा 2.7400 हैक्टेयर है परंतु भुलवश म्युटेशन नहीं भराया गया जिससे फौत की म्युटेशन दिनांक 20-12-2019 को भरा गया जिसकी नकल लेने से जानकारी प्राप्त होने पर नकल प्राप्त 21-07-2020 को की और 23-07-2020 को जिला कलेक्टर महोदय के यहा पेश कर दि गई थी जो जानकारी के अभाव में पेश की गई उक्त अपील प्रस्तुत करने हेतु निर्देष दिया गया की सक्षम न्यायालय में पेष की जावे। जिससे श्रीमान के न्यायालय में अपील पेश की गई जिससे स्वीकार किया जावे। रेस्पोडेन्ट के

उपखण्ड अधिकारी रियांबड़ी
जिला-नागौर

वकील ने बहस में कथन किया की अपील मयाद बाहर है जिससे अपील खारीज योग्य है एवं अपील खारीज की जावे।

उपरोक्त अपील के तथ्यों का विवेचन किया गया एवं वकुलाय अपीलांट व रेस्पोडेन्ट की बहस पर मनन किया। एवं पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत बेचाननामा दिनांक 31–03–2005 का अवलोकन किया अपीलांट के खरीदसुदा जमीन है जिससे अपीलांट की अपील स्वीकार की जाना न्यायोचित प्रतीत होती है।

अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर नामांतरकरण सं. 1278 दिनांक 20–12–2019 ग्राम पंचायत आलनियावास को निरस्त किया जाकर तहसीलदार रियांबड़ी को आदेश दिया जाता है कि स्व. बिदामी के विधिक उत्तराधिकारीगण का नामांतारकरण भरा जावे।

(सुरेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
रियांबड़ी

आज दिनांक 3/9/24 को यह निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
रियांबड़ी

उपखण्ड अधिकारी रियांबड़ी
जिला–नागौर